शिक्षकों की समस्याओं का शिरिर में होगा समाधान

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा–मा/मोनिट/परिवेदना निस्तारण कैम्प/2019/01 दिनांक : 02.05.19

समस्त संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा विभाग, सम्भाग कार्यालय

विषय :– माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त संवर्ग के कार्मिकों से संबंधित लम्बित/बकाया प्रकरणों का त्वरित निस्तारण हेतु परिवेदना शिविर।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निदेशालय के ध्यान में आया है कि कार्मिकों के त्वरित निस्तारण योग्य प्रकरणों में भी विभागीय प्रक्रियान्तर्गत लम्बे समय के अन्तराल में निस्तारण होता है। इससे विभाग में लम्बित प्रकरणों की संख्या में निरन्तर बढ़ोतरी होती रहती है तथा समय पर कार्य पूर्ण होने में विलम्ब होता है। इससे जिन कार्मिकों के प्रकरण त्वरित निस्तरण योग्य होने के बावजूद भी प्रकरणों का निस्तारण समय पर नहीं हो पाता है, जिससे कार्मिकों में असन्तोष/असुरक्षा की भावना पैदा होती है एवं कार्मिक अपने दायित्व के प्रति उदासीन होकर अपना समय अपने प्रकरणों के निस्तारण के पीछे लगाते हैं। **जो कार्मिकों के समय का अपव्यय है। कार्मिकों के द्वारा अपने प्रकरणों के लम्बे समय से निस्तारण नहीं होने पर निदेशालय को निस्तारण हेतु परिवेदनाएं लगातार प्राप्त होती रहती है, जो कि चिन्ताजनक है।**

अतः विभाग स्तर पर गहन विचारोपरान्त त्वरित निस्तारण योग्य प्रकरणों का कैम्प/शिविर का आयोजन कर उनका यथा–समय निस्तरण की कार्यवाही अमल में लाई जाने हेतु निर्णय लिया जाकर अग्रंकित विवरणानुसार परिवेदना शिविर आयोजित किए जाते है :–

क्र.सं.	सम्भाग का नाम	शिविर स्थल	शिविर आयोजन हेतु निर्धारित तिथियां	शिविर प्रभारी अधिकारी (संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा)
1.	पाली, अजमेर, उदयपुर	राआउमावि, बांगड, पाली	16.05.2019 से 18.05.2019	श्री जगदीश चन्द्र राठौड़
2.	जयपुर, भरतपुर, कोटा	राजीव गांधी भवन, प्रथम तल, शिक्षा संकूल परिसर, जेएलएन मार्ग, जयपुर	25.05.2019 से 27.05.2019	श्री रतन सिंह यादव
3.	चूरू, बीकानेर, जोधपुर	राजकीय बागला उमावि, चूरू	31.05.2019 से 02.06.2019	श्री सुरेन्द्र सिंह गौड़

उक्त शिविर बकाया/लम्बित प्रकरण हेतु अपनी परिवेदना आयोज्य शिविर की तिथि से 05 दिवस पूर्व से शिविर के प्रथम दिवस प्रातः 12:30 बजे तक परिवेदनाओं का पंजीकरण किया जायेगा तथा शेष दिवस में उन सभी परिवेदनाओं का त्वरित निस्तरण की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

उक्त शिविर में त्वरित निस्तारित किए जाने वाले प्रकरणों/विषयों का वर्गीकरण निम्नांकितानुसार किया जाता है :–

1. सेवा सम्बन्धी प्रकरण –
   1. पेंशन– सेवानिवृति आदेश/अदेय प्रमाण पत्र इत्यादि।
   2. ए.सी.पी./वरिष्ठ/चयनित वेतनमान।
   3. वेतन स्थिरीकरण/वेतन निर्धारण।
   4. अवकाश स्वीकृति प्रकरण।
   5. परिवीक्षाकाल पूर्ण होने के उपरान्त नियमित वेतन निर्धारण/स्थाईकरण (जिन कार्मिका ने परिक्षाकाल में नियमानुसार 90 दिवस से अधिक असाधारण अवकाश का उपभोग नहीं किया है के प्रकरणों का निस्तारण)।
   6. वरिष्ठता सूची में नामांकन/योग्यता अभिवृद्धि/संशोधन परिवर्द्धन/विलोपन सम्बन्धी प्रकरण।
   7. लम्बित विभागीय जाँच प्रकरण की मोनेटरिंग एवं निस्तारण की कार्यवाही।
   8. पदोन्नति विषयक परिवेदना।
2. लेखा सम्बन्धी –
   1. वेतन भुगतान सम्बन्धी प्रकरण।

इसके अतिरिक्त जिन प्रकरणों का शासन स्तर से निस्तारण किया जाना है। उन प्रकरणों हेतु शिविर प्रभारी द्वारा अलग से एक रजिस्टर का संधारण किया जायेगा एवं चरणबद्ध तरीके से उन प्रकरणों का निस्तारण हेतु आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। पंजीकृत प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा शिक्षक जानकारी के लिए प्रसारित

शिक्षकों की समस्याओं का शिरिर में होगा समाधान

विभाग के समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा समयावधि में आवश्यक कार्यवाही कर उच्चाधिकारी को अग्रेषित करेंगे। पंजीकृत प्रकरणों का शिविर प्रभारी समय-समय पर प्रबोधन/मोनेटरिंग करते हुए शून्य की स्थिति तक प्रभावी प्रबोधन करेंगे एवं प्रकरणों की समग्र रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के समक्ष प्रस्तुत करेंगे :-

रजिस्टर प्रारूप

पंजीकरण संख्या/मण्डल	पंजीकृत दिनांक	प्रकरण का संक्षिप्त विवरण	प्रार्थी का नाम (जिनका प्रकरण है)	पद	पदस्थापन स्थान	प्रकरण किस स्तर से निस्तारित होना है।	अंतिम निस्तारण दिनांक
01/अजमेर							

नोट:- प्रकरण संलग्नक के अनुसार प्रस्तुत करेंगे।
संलग्नक:- सूची एवं प्रपत्र।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् एवं सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
5. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) कार्यालय हाजा।
7. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्राथमिक परिषद्, उदयपुर।
8. संयुक्त निदेशक (प्रशासन/कार्मिक) कार्यालय हाजा को निर्देशित किया जाता है कि निदेशालय टीम सहित शिविर मे प्राप्त परिवेदनाओं का यथा-समय निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करे।
9. शिविर प्रभारी (संबंधित संयुक्त निदेशक) को निर्देशित किया जाता है कि वे निदेशालय स्तर की टीम व अन्य जिले की टीमों हेतु शिविर स्थल पर फर्नीचर, आवश्यक कार्यालय संसाधन, पानी एवं छाया तथा रात्रि विश्राम हेतु आवश्यक आवास एवं आवास की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करावें।
10. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित शिविर दिनांक को अपनी टीम के साथ शिविर मे उपस्थित होगें तथा शिविर में प्राप्त परिवेदनाओं के निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करेंगे।
12. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी समग्र शिक्षा अभियान,
13. अनुभाग अधिकारी कार्यालय हाजा को निर्देशित किया जाता है कि शिविर प्रभारी से प्राप्त पंजीकृत प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में आई जावे।
14. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
15. वरिष्ठ संपादक, शिविरा प्रकाशन अनुभाग कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ
16. स्टाफ ऑफिसर, निजी अनुभाग (निदेशक) कार्यालय हाजा।
17. समस्त संस्था प्रधान, रामावि/राउमावि को विद्यालय में लम्बित सेवा संबंधी प्रकरणों/लेखा प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्देशित कार्यवाही सम्पादित करने बाबत्।
18. कार्मिकों को सूचित किया जाता है कि पत्र मे अंकित प्रकरणों के सम्बन्ध में अपने प्रकरण मे चैक लिस्ट एवं निर्धारित प्रपत्र में सम्पूर्ण प्रविष्ठियॉं कर संस्था प्रधान के माध्यम से उच्च कार्यालय को अग्रेषित करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे साथ ही पूर्व मे बकाया/लम्बित प्रकरण हेतु अपनी परिवेदना आयोज्य शिविर की तिथि से 05 दिवस पूर्व से शिविर के प्रथम दिवस प्रातः 12:30 बजे तक परिवेदनाओं शिविर में संबंधित सम्भाग प्रभारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
19. रक्षित पत्रावली।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा शिक्षक जानकारी के लिए प्रसारित